जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-26.04.2025**

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 150 ग्राम चरस बरामद।

आज दिनांक 26.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 150 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सादिक पुत्र जाहिद निवासी ग्राम असदपुर जिड़ाना थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 150 ग्राम चरस।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजनो द्वारा दिनाँक 25.03.2025 को थाना झिंझाना पर तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1. मियाखान पुत्र इन्तियाज निवासी ग्राम बसी चुन्धियारी थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-</u>

आज दिनांक 26.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.दलीप पुत्र रामचरण निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली ।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब ।

<u>थाना झिंझाना/कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 26.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना/कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1. दीपक पुत्र रगवीर निवासी ग्राम बुबाना लखु थाना इसराना जनपद पानीपत।

2.शहजाद पुत्र मरहूम निवासी मौहल्ला आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली।

पुलिस अधीक्षक महोदय शामली की अध्यक्षता में थाना गढ़ीपुख्ता पर 'थाना समाधान दिवस' का आयोजन कर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए आदेश व आकस्मिक निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

आज दिनांक 26.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा थाना गढ़ीपुख्ता पर आयोजित "थाना समाधान दिवस" पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गम्भीरता से लेकर शत-प्रतिशत निष्पक्ष एवं गुणवात्तापूर्ण निस्तारण किये जान हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के अतिरिक्त थाना समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक गढ़ीपुख्ता व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे तत्पश्चात महोदय द्वारा थाना गढ़ीपुख्ता का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा थाने के महत्वपूर्ण अभिलेखों को चैक किया गया। थाने पर फरियादियों व महिला फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु थाने पर जनसुनावाई/महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त पुरुष/महिला कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। CCTNS कार्यालय पर फीडिंग होने वाली सूचनाओं, लंबित विवेचना, हवालात का निरीक्षण किया गया, साथ ही थाना के समस्त पुलिस कर्मियों की समस्याओ को सुनकर उनके निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते दहेज अधिनियम के मामले में 02 अभियुक्तो को माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई गई 02 वर्ष के कारावास की सजा एवं 19,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2014 में अभियुक्तगण 1.सुनील पुत्र ओमपाल 2.सुधीर पुत्र ओमपाल निवासीगण ग्राम हाथी करौंदा जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 514/2014 धारा 498ए/308/149/323/504 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस मामले में थानाभवन पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में आज दिनांक 26.04.2025 को माननीय न्यायालय एफटीसी-2, मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त सुनील उपरोक्त को धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह साधारण कारावास तथा धारा 3/4 दहेज अधिनियम में 06 माह कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस साधारण कारावास तथा धारा 504 भादवि में 06 माह कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस साधारण कारावास व अभियुक्तगण सुनील, सुधीर को धारा 308/149 भादवि में 02 वर्ष कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह साधारण कारावास तथा धारा 323/149 भादवि में 06 माह कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.सुनील पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम हाथी करौंदा जनपद शामली।

2.सुधीर पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम हाथी करौंदा जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI